बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo– 9/विविध–13–67/2016/स्वाo – 270(9) ....दिनांक 02/03/2017 डाo प्रशांत कुमार, सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के विरूद्ध सरकार के परिपत्र/निर्देश के विपरीत जाकर आपके कार्यालय आदेश ज्ञापांक– 2607 दिनांक– 02/11/2016 एवं ज्ञापांक– 2608 दिनांक– 02/11/2016 के द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों का स्थानांतरण किये जाने को घोर अनुशासनहीनता मानते हुए उनसे विभागीय पत्रांक– 1394(9) दिनांक– 28.12.2016 एवं पत्रांक– 69(9) दिनांक– 17.01.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

डाo कुमार द्वारा दिनांक 20.01.2017 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उन्होने स्थानांतरण, पदस्थापन एवं प्रोन्नति में किसी भी तरह नियमों के उल्लंघन से इन्कार किया ।

आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षा की गई तथा यह देखते हुए कि आपके विरूद्ध आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित है, उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है तथा डाo प्रशांत कुमार, सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
हo/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
स्वाo विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांकः 270(9) /स्वाo, पटना , दिनांकः 02/03/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (लेo एवं हo)बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वैoदाoनिoकोo) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डाo प्रशांत कुमार, सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वाo) के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव स्वाo के निजी सहायक/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3/आईo टीo मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02-3-17
सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-01-11-17\SWETA SHARMA 2016\Notification 2016.docx